

न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :मंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 388/2017 (40/2009)

<u>अपीलान्त</u>	<u>बनाम</u>	<u>रेस्पोडेन्टस</u>
तहसीलदार फतेहगढ जिला जैसलमेर		1. सत्येन्द्रसिंह पुत्र किशोरसिंह जाति राजपूत निवासी- ए/ 2101, गोकुल मगन ठाकुर विपेज, काधीवजी ईस्ट, मुम्बई। 2. कु0 संघमित्रा राठी पुत्री श्री जी0सी0राठी जाति मीणा निवासी-हिम्मतनगर गोपालपुरा मोरअंक रोड जयपुर

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध
आदेश दिनांक 31.03.2009 जो उपखंड अधिकारी फतेहगढ जिला जैसलमेर
के द्वारा राजस्व अपील संख्या 76/2008 अनवान राज0 सरकार बनाम
सत्येन्द्रसिंह वगैरा में पारित किया गया।

उपस्थिति:-

1. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता अपीलान्त की ओर से।
2. रेस्पोडेन्टस की ओर से लिखित बहस पेश की।

निर्णय

दिनांक 27 मई, 2024



अपीलान्त के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्त
के द्वारा उपखंड अधिकारी फतेहगढ जिला जैसलमेर के समक्ष एक राजस्व अपील अन्तर्गत
धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई। जिसमें ग्राम पंचायत लखा
के द्वारा रेस्पोडेन्ट के पक्ष में स्वीकृत नामा0 संख्या 511 दिनांक 26.07.2005 को निरस्त
कराने हेतु निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील को मियाद बाहर होने एवं
मेरिटविहिन होने से अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.03.2009 को अस्वीकार कर दी गई
जिसके विरुद्ध यह द्वितीय अपील 21.07.2009 को पेश की गई।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित है। अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने हेतु
अधिवक्ता ने यह कथन किया कि दिनांक 31.03.2009 को पारित अपीलाधीन आदेश की

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

जानकारी होने पर उक्त आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु दिनांक 19.5.2009 को आवेदन पेश किया तब आदेश की प्रति उपलब्ध करवाई गई। प्रार्थी बाद में लोकसभा आम निर्वाचन 2009 में व्यस्तता, निर्वाचन कार्य में व पशु शिविरों व पेजयल प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशासनिक कार्य में व्यस्तता के कारण निर्धारित समयावधि में अपील पेश नहीं कर सका। तत्पश्चात राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर न्यायालय के समक्ष यह अपील पेश की गई अतः विलम्ब को उक्तानुसार क्षमा करते हुए अपील को अन्दर मियाद शुमार की जावे। अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

दौरान सुनवाई राजकीय अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रथम अपील के अधीन अपीलाधीन नामान्तरकरण की प्रक्रिया को एक प्रशासनिक आर्थिक व्यवस्था यानि फिसकल प्रोसिडिंग्स होने का आधार मानकर अपील अस्वीकार की गई, जबकि नामा0 एक तरीका है जो स्थाई अभिलेखों को मौजूदा तारीख तक सही रखने का आधार है। नामा0 प्रक्रिया के जरिये अधिकारों में परिवर्तन स्थाई अभिलेखों में पहुंचाया जाता है एवं वहा बिना किसी जाँच के स्टीरीयोराइड आदेश की महज फिसकल प्रोसिडिंग्स के आधार पर पुष्ट किया जाना विधिसम्मत नहीं है। राज0 भू राजस्व (भू0अ0) नियमावली 1957 के अनुसरण में तहसील में होने वाली समस्त भूमि अभिलेख कार्यवाहियों का परीक्षण व अधीक्षण तहसीलदार के कर्तव्य में निहित है, वहाँ उपखण्ड अधिकारी द्वारा यह सम्प्रेषण किया जाना कि तहसीलदार के हित प्रभावित नहीं होते हैं और उसका कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होता है, विधि के परिप्रेक्ष्य में मिथ्या धारणा है, जबकि विधि/नियमों में तहसीलदार का रिकॉर्ड संधारण का प्रमुख कर्तव्य होता है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध सामग्री से परे जाकर अपने निजी ज्ञान के आधार पर प्रथम अपील को निरस्त किया है। तहसीलदार द्वारा अपने पदीय हैसियत से उपपंजीयक के रूप में की गई कार्यवाही को उसे तहसीलदार की हैसियत से नामा0 को चुनौती देने से प्रवरित नहीं करती है। नामा0 से सम्बन्धित कार्यवाही में कब्जा निष्वात्मक आधार व सारभूत तत्व है, वहाँ प्रसंगत भूमि पर रेस्पोजेन्ट राजस्थान का सद्भावी कृषक नहीं है, बिना कब्जे की जाँच किये सरपंच के द्वारा स्वीकृत नामा0 की कार्यवाही को यथावत रखने का प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है, उक्त प्रसंगत भूमि पर रेस्पोजेन्ट का कोई कब्जा नहीं है। भूमि अधिकारों के अन्तरण में विक्रय पत्र के निष्पादन व पंजीयन मात्र हो जाना खातेदारी अधिकारों का

अन्तरित के हक में अन्तरण के लिये पर्याप्त नहीं है एवं अन्तरण राज0 कर्तकारी अधिनियम की मंशा के विरुद्ध है। राजस्व मण्डल राज0 द्वारा निगरानी संख्या 38/ बाडमेर/1989 हुकमीचन्द बनाम लखू वगैराह-1995 आरआरडी पेज 696 में धारित किया गया है कि ट्रान्सफर व ट्रान्सफरी को अनुप्रमाणन अधिकारी के समक्ष इस बात के लिये सहमत होना आवश्यक है कि कब्जा का हस्तान्तरण किया जाना अर्थात् राज0 भू राजस्व (भू अभिलेख) नियमों 1957 के नियम 133 के तहत नामा0 प्रविष्टि के अनुप्रमाणन से पूर्व ट्रान्सफरर को नोटिस दिया जाना आवश्यक है। नामा0 स्वीकृति से पहले अन्तरक को नोटिस दिये बिना इसे स्वीकृत करना नामा0 स्वीकार करने के विधी के सारभूत पालना नहीं की है, ऐसे में अपीलाधीन आदेश को यथावत बहाल रखा जाना विधि सम्मत नहीं हो सकता है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि कृषि सम्बन्धी मामलों व कृषि भूमि में अधिकारों के अन्तरण के सम्बन्ध में भू राजस्व अधिनियम व राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान अन्य विधियों पर अधिभावी प्रभाव रखते हैं वहाँ विक्रय पत्र के निष्पादन व पंजीयन मात्र हो जाना खातेदारी अधिकारों का अन्तरित के हक में अन्तरण के लिये पर्याप्त नहीं है जबकि अन्तरण राज0 काश्तकारी अधिनियम की मंशा के विरुद्ध व अकृत है। इसके अतिरिक्त नामा0 स्वीकृति बाबत नियम 133 व 137 के प्रावधान की पालना के बिना नामा0 की स्वीकृति की अवैध कार्यवाही के लिये नामा0 खोलने वाले पटवारी व भू0अ0निरीक्षक के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना अथवा नहीं किया जाना नामा0 प्रमाणिकृत के आदेश को चुनौती देने वाली अपील को अस्वीकृत करने का आधार नहीं हो सकता है। कृषि भूमि का खनन प्रयोजनार्थ ही अन्तरण किया जाना प्रश्नगत नामा0 स्वीकृत होने के एक सप्ताह की अवधि में इस हेतु पक्षकार का आवेदन किया जाना परिलक्षित करता है और कृषि भूमि का खनन प्रयोजनार्थ अन्तरण अवैध है और खनन लीज की स्वीकृति व खनन कार्यवाही का चलाया जाना नामा0 को वैधता प्रदान नहीं करता है। नामा0 स्वीकृति का प्रश्नात आदेश ग्राम पंचायत लखा द्वारा प्रस्ताव पारित करके नहीं किया गया है और आदेश में हित रखने वाले पक्षकारों को अपना पक्ष रखने व सुनवाई का अवसर नहीं किया गया, ऐसे में भी अपीलाधीन नामा0 क्षेत्राधिकार विहिन होने से प्रारम्भतः अवैध व शून्य है, जिसे बहाल रखा जाना विधि सम्मत नहीं था। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील को स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.03.2009 को निरस्त किया जावें।

रेस्पोंडेन्टस के अधिवक्ता अन्तिम सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हुए। तत्पश्चात उनकी ओर से लिखित पेश न्यायालय के समक्ष पेश की गई जिसे संलग्न पत्रावली किया

राजस्व अपील संख्या 363/2017 अनवान तहसीलदार फतेहगढ बनाम सत्येन्द्र सिंह

गया। लिखित बहस में यह कथन किया कि अपीलान्त की अपील पूर्णतः मियाद पेश की गई है इस सम्बन्ध में कोई सद्भाविक व वास्तविक कारण पेश प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया गया है कि अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जा सके। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत समस्त दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य तथा तथ्यों व आधारों पर ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के पश्चात् व विधि का अवलोकन करने के पश्चात् अपीलार्थी की अपील न केवल समय से बाधित होन के कारण बल्कि मैरिट पर भी अपील में कोई सार नहीं होने के कारण अस्वीकार करते हुए खारिज कर दी गई थी। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई वैधानिक त्रुटि नहीं की है। ना ही अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील में ऐसा कोई तथ्य उल्लेखित किया हो जिससे यह प्रतीत होता है कि आदेश दिनांक 31.03.2009 विधि के प्रावधानों के विरुद्ध पारित किया था इस आधार पर भी अपील सारहीन होने से निरस्त करने योग्य है।

प्रस्तुत द्वितीय अपील में न्यायालय हाजा को यह देखना था कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने क्या वैधानिक त्रुटि की थी परन्तु अपीलार्थी की ओर से ऐसा कोई तथ्य व प्रावधान का उल्लेख किया गया। द्वितीय अपील को केवल मात्र विधि के दृष्टिकोण पर निर्णित करना होता है। अपीलार्थी ने अपील में रेस्पोंडेन्ट का कब्जा होने की बात नहीं मानी है जबकि रेस्पोंडेन्ट के पक्ष में विक्रय विलेख पंजीबद्ध है व नामा भी भरा जाकर स्वीकृत किया जा चुका है। उक्त नामा को रद्द करने हेतु तहसीलदार द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है परन्तु नामा प्रक्रिया में तहसीलदार पक्षकार नहीं थे तथा जहाँ तक नोटिफाईड क्षेत्र में बिना अनुमति प्रवेश का प्रश्न है, उसको विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम के तहत कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। उक्त भूमि पर रेस्पोंडेन्ट द्वारा माईनींग लीज पर लेने हेतु कार्यवाही की तब तहसीलदार द्वारा ही अनामति प्रमाण पत्र जारी किया गया है इससे स्पष्ट होता है कि रेस्पोंडेन्ट द्वारा कोई विधि विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई अतः अपील सारहीन होने व आधारहीन होने एवं मियाद बाहर होने से खारिज की जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.03.2009 को बहाल रखा जावे।

हमने उल्लेखित बहस, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलाधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससे यह पाया गया कि उक्त

द्वितीय अपील अपीलाधीन नामा० संख्या 511 जो ग्राम पंचायत, लखा के द्वारा स्वीकृत किया गया है, के विरुद्ध प्रस्तुत की गई प्रथम अपील अस्वीकार किये जाने पर इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है। अपीलान्त की ओर से प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन स्वीकृत नामा० संख्या 511 जो पंजीकृत बेचान दस्तावेज दिनांक 26.07.2005 के आधार पर रेस्पोंडेन्टस के नाम दिनांक 31.07.2005 को सरपंच, ग्राम पंचायत लखा के द्वारा स्वीकृत किया है, को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में प्रमुखतः यह कथन किया कि है कि रेस्पोंडेन्टस के द्वारा ग्राम लखा जो कि दण्डिक विधि संशोधन अधिनियम, 1961 के अधीन जारी हुई अधिसूचना दिनांक 12.03.1996 के प्रभावी रहने के कारण नोटिफाईड एरिया में आता है और उसमें बाहरी व्यक्ति के बिना समक्ष प्राधिकारी की अनुमति के प्रवेश प्रतिबंधित था और रेस्पोंडेन्ट को उक्त क्षेत्र में जाने की कोई अनुमति नहीं थी और न ही उनके द्वारा ऐसी कोई अनुमति ली गई। ऐसी स्थिति में क्रेता द्वारा कय की गई भूमि का कब्जा दौराने दस्तावेज पंजीयन के विक्रेता से नहीं लिया गया, जबकि विक्रय के नामा० में कब्जा ही मुख्य आधार होता है। साथ ही नामा० संख्या 511 ग्राम पंचायत के द्वारा प्रस्ताव पारित कर स्वीकृत नहीं किया है, मात्र सरपंच के द्वारा स्वीकृत किया गया है।



यह न्यायालय अपीलान्त के उक्त कथनों से पूर्णतः सहमत है कि रेस्पोंडेन्टस के द्वारा ग्राम लखा में श्रीमती महफूजा बेगम इत्यादि से जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के दिनांक 26.07.2005 को भूमि खरीद की गई परन्तु ग्राम लखा को दण्डिक विधि संशोधन अधिनियम, 1961 के अधीन जारी अधिसूचना दिनांक 12.03.1996 के प्रभावी रहने के कारण नोटिफाईड एरिया में आता है और उसमें बाहरी व्यक्ति के बिना समक्ष प्राधिकारी की अनुमति के प्रवेश प्रतिबंधित था और रेस्पोंडेन्ट को उक्त क्षेत्र में जाने की कोई अनुमति नहीं थी और न ही उनके द्वारा ऐसी कोई अनुमति ली गई। बिना अनुमति के उक्त क्षेत्र में प्रवेश करना एवं वादग्रस्त भूमि का कब्जा ले लिया जाना मानने योग्य नहीं हो सकता है। नामा० से सम्बन्धित कार्यवाही में कब्जा निश्चात्मक आधार व सारभूत तत्व है, वहीं प्रश्नगत भूमि पर रेस्पोंडेन्ट राजस्थान का सद्भावी कृषक नहीं है, और बिना कब्जे की जाँच किये सरपंच के द्वारा स्वीकृत किये गये नामा० की कार्यवाही को यथावत रखने का प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं ठहराया जा सकता है। भूमि अधिकारों के अन्तरण में विक्रय पत्र के निष्पादन व पंजीयन मात्र हो जाना खातेदारी अधिकारों का अन्तरित के हक में अन्तरण के लिये पर्याप्त नहीं है एवं अन्तरण भी राज० कर्त्तकारी अधिनियम की मंज्ञा के विरुद्ध है। कब्जा का हस्तान्तरण किया जाना अर्थात् राज० भू राजस्व (भू अभिलेख) नियमों

राजस्व अपील संख्या 363/2017 अनवान तहसीलदार फतेहगढ बनाम सत्येन्द्र सिंह

1957 के नियम 133, 137 के तहत नामा0 प्रविष्टी के अनुप्रमाणन से पूर्व ट्रान्सफरर को नोटिस दिया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कृषि भूमि का खनन प्रयोजनार्थ ही अन्तरण किया जाना विधि विपरित है और नामा0 को वैधता प्रदान नहीं कर सकता है। इस प्रकार उल्लेखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में हमारी विनम्र राय में उपखण्ड अधिकारी, फतेहगढ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.03.2009 को बहाल रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्त की यह अपील स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, फतेहगढ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.12.2008 को एवं ग्राम पंचायत, लखा सरपंच द्वारा स्वीकृत नामा0 संख्या 511 दिनांक 26.7.2005 को निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 27 मई, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।




(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जोधपुर